# सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

**कार्यपरिषद् की बैठक**

**दिनांक -19.02.2014**
**समय – अपराह्ण 3:00 बजे से**
**स्थान – योग साधना केन्द्र**

**उपस्थिति**

**1-प्रो॰ बिन्दा प्रसाद मिश्र, कुलपति- अध्यक्ष**

2-प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय
3- प्रो॰ आशुतोष मिश्र
4-डा॰ प्रभु सिंह यादव
5- प्रो॰ यदुनाथ प्रसाद दुबे
6-डा॰ हरिप्रसाद अधिकारी
7- डा॰ ललित कुमार चौबे
8-श्रीमती बिमला देवी पोद्दार
9- प्रो॰रामकिशोर त्रिपाठी
10-डा॰ शैलेश कुमार मिश्र
11-वित्ताधिकारी
12-कुलसचिव - सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने मा॰कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्या श्रीमती बिमला देवी पोद्दार सहित समस्त सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

**कार्यक्रम संख्या-1-** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.12.2013 के कार्यवाही की पुष्टि।

सर्वप्रथम कुलसचिव ने परिषद् को अवगत कराया कि प्रो॰व्यास मिश्र, संकायाध्यक्ष, वेद वेदाङ्ग संकाय, जो कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.12.2013 में कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में उपस्थित थे उन्होंने उक्त बैठक के कार्यवृत्त में गलत अंकन के सम्बन्ध में अधोलिखित पत्र प्रेषित किया है-

दिनांक - 29.12.2013

सेवा में,
**कुलसचिव**
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

**विषय : आपके पत्र संख्या सा. 1944/2014 दिनांक 03.01.2014 जो कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.12.2013 के कार्यवृत्त अंकन के सम्बन्ध में है में गलत अंकन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करें । इस सम्बन्ध में निम्नांकित विन्दु सूच्य है -

1. बार-बार परिषद की बैठक में सम्बन्धित अभिलेखों को पूर्व में देने की बात उठाई इसका न तो अंकन है और न ही ऐसा किया जा रहा है ।

2. इस अंकन में कुल 4 कार्यक्रम हैं जिसमें 2 पूर्व कार्यपरिषदों का है और 2 नये विषय । जबकि 4 विषय पूरक कार्यक्रम में एवं 8 अध्यक्ष की अनुमति से हैं । अध्यक्ष की अनुमति से 8 प्रस्ताव दिखायें गये हैं । इनमें से अधिकांश में प्रस्तावक कौन है का उल्लेख नहीं है इसे अंकित किया जाय । बिना प्रस्ताक के प्रस्ताव कैसे आयेगा ।

3. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव पर विचार के क्रम संख्या 8 पर प्रो. कृष्ण कान्त शर्मा को कार्य परिषद का सदस्य नामित करना अंकित है जो गलत है । प्रशासन मनमाने ढंग से इसे जोड़ लिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 (5) के अनुसार इस प्रकार के किसी अध्यादेश को लागू करने की तिथि का कार्यपरिषद ने निश्चय नहीं किया है और न ही कुलाधिपति को प्रेषित है । अतः यह अंकन समाप्त किया जाय ।

भवदीय

**( प्रो.व्यास मिश्र )**
सदस्य कार्यपरिषद बैठक
सं.सं.वि.वि.वाराणसी

उक्त पत्र पर विचार के क्रम में दिनांक 29.12.2013 में उपस्थित कार्यपरिषद् के सदस्यों जो कि इस बैठक में भी उपस्थित थे उन्होने कहा कि प्रो॰मिश्र ने अपने पत्र के माध्यम से जो भी आपत्ति प्रस्तुत किये है, वह प्रासंगिक नही है, क्योंकि परिषद् की उक्त बैठक में जो भी कार्यवाही हुयी थी उसका अंकन किया गया है।

तत्पश्चात् परिषद् ने सर्वसम्मति से परिषद् की बैठक दिनांक 29.12.2013 के कार्यवाही की पुष्टि की।

**कार्यक्रम संख्या-2-** कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.12.2013 में लिये गये निर्णयों के क्रियांवयन की सूचना।

कार्यपरिषद् के समक्ष कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.12.2013 में लिये गये निर्णयों के क्रियांवयन रिर्पोट पर विचार के क्रम में परिषद् ने सर्वसम्मति से निर्देश दिया कि-

(i) **मुख्य भवन की ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्व को दृष्टि में रखते हुए इसका जीर्णोद्धार सामान्य संस्था से कराने से इसके मूल आकृति एवं ऐतिहासिकता आदि पर प्रभाव पड़ सकता है। इसको दृष्टि में रखते हुए इसका जीर्णोद्धार Indian National Trust for Art & Cultural Heritage(INTACH) जैसी विशेषज्ञ संस्था से ही कराना उचित होगा। अतः शासन से यह अनुरोध किया जाय कि विश्वविद्यालय मुख्य भवन का जीर्णोद्धार Indian National Trust for Art & Cultural Heritage(INTACH) से कराना चाहता है। एतदर्थ विश्वविद्यालय के मुख्य भवन के जीर्णोद्धार INTACH से कराने हेतु कुलसचिव उ॰प्र॰ शासन से विशेष अनुदान प्राप्त करने के लिए अनुरोध करें। इसके साथ ही INTACH से प्राप्त भवन के जीर्णोद्धार हेतु व्यय विवरण को भी शासन को भेजा जाये।**

(ii) **विश्वविद्यालय स्थित पत्थर के ऐतिहासिक स्तम्भ ( स्तूप ) के जीर्णोद्धार हेतु कुलपति, इस क्षेत्र के विद्वान डा॰बी॰आर॰मणि जो अभी सारनाथ में पुरातात्विक उत्खन्नन के कार्य का निर्देशन कर रहे है, उनसे सम्पर्क कर विचार करें।**

(ii) आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया था कि, वह विभाग के अंतर्गत हिन्दी विषय के संविदा पर अध्यापन हेतु चयन समिति से संस्तुत एवं कार्यपरिषद् द्वारा स्वीकृत पैनल में वरियता क्रम में प्रथम नाम श्री सत्यप्रकाश मौर्य जो विभाग में हिन्दी विषय का अध्यापन कार्य दिनांक 14.09.2013 से कर रहा है, उसके भुगतान के प्राप्यक को अग्रसारित करे। उक्त के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष ने लिखा है कि हिन्दी विषय की अध्यापिका के प्रमाणीकरण के आधार पर श्री मौर्य का प्राप्यक नियमानुसार अग्रसारित किया जाता है। उक्त के आधार पर अभी तक श्री मौर्य के मानदेय का भुगतान नही हो सका है।

इस प्रकरण पर विभागाध्यक्ष की सभी बातों से अवगत होते हुए कार्यपरिषद् ने हिन्दी विषय के अध्यापक के प्रमाणीकरण के आधार पर श्री मौर्य के भुगतान पर स्वीकृति प्रदान की और यह निर्देशित किया कि श्री सत्य प्रकाश मौर्य का नाम विभागीय उपस्थिति रजिस्टर एवं समय चक्र में भी अंकित करने का निर्देश विभागाध्यक्ष को दिया जाय। साथ ही प्रो॰ शारदा चतुर्वेदी (विभागाध्यक्ष)को यह भी निर्देशित किया जाय कि वे भविष्य में कार्यपरिषद् के निर्देशों का समुचित पालन करें।

अंत में कार्यपरिषद् ने उपरोक्त निर्देश प्रदान करते हुए अन्य सूचनाओं से अवगत हुई एवं कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

**कार्यक्रम संख्या-3-** वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.02.2014 की संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.02.2014 की अधोलिखित संस्तुति एवं पुनरीक्षित आय-व्ययक वर्ष 2013-2014 एवं प्रस्तावित आय-व्ययक वर्ष 2014-2015 प्रस्तुत की गयी-

# वित्त समिति की बैठक

*दिनांक : 12.02.2014*
*समय : पूर्वाहण 12.30 बजे*
*स्थान : कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष*

## उपस्थिति

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रो• बिन्दा प्रसाद मिश्र, कुलपति | – | अध्यक्ष | |
| 2. | प्रो• यदुनाथ प्रसाद दूबे, प्रति कुलपति | – | सदस्य | |
| 3. | श्री तेज बहादुर सिंह (वित्त एवं लेखाधिकारी)प्रतिनिधि क्षेत्रीय उच्च षिक्षा अधिकारी, वाराणसी। | – | सदस्य | |
| 4. | श्री जे•पी• राय अपर निदेशक, कोड्डागार एवं पेंषन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी। | – | सदस्य | |
| 5. | उपकुलसचिव (विकास) काषी हिन्दू विष्वविद्यालय, वाराणसी। | – | सदस्य | (अनुपस्थित) |
| 6. | श्री मुकुन्दी लाल गुप्ता, वित्त अधिकारी | – | सदस्य–सचिव | |
| 7. | श्री राकेश कुमार मालपाणी, कुलसचिव | – | सदस्य | |

## कार्यवृत्त

कुलपति जी द्वारा समिति के सदस्यो का स्वागत किया गया।

**कार्यक्रम संख्या 1** वित्त समिति की विगत बैठक दि• 26.09.2013 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि तथा कृत कार्यवाही की सूचना।

**प्रस्तुत प्रस्ताव :** LAN स्थापना हेतु विकास मद से बी0एस0एन0एल0 को रू0 15,58,132/– का भुगतान कर दिया गया है तथा सिस्टम मैनेजर द्वारा LAN स्थापना से सम्बन्धित अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

चिकित्साधिकारी एलोपैथ तथा चिकित्साधिकारी आयुर्वेद के रिक्त पर पर प्रति रू0 15000/– प्रतिमाह की संविदा पर कार्य लिया जा रहा है।

आयकर अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.13 के द्वारा रू0 1,96,67,070/– तथा संशोधित आदेश दि0 30.03.13 द्वारा रू0 1,73,38,270/– स्रोत से आयकर कटौती न किये जाने के कारण, आरोपित किया गया है। जिसमें से दो किश्तों में रू0 30,00,000/– तथा रू0 20,00,000/– कुल रू0 50,00,000/– जमा किया जा चुका है इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा कमिश्नर के समक्ष दाखिल अपील में कार्यवाही विचाराधीन है। आयकर अधिकारी द्वारा पुनः टोकन मनी जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

मिनी आडिटोरियम निर्माण में एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर संबंधी मामले में हुई अनियमितता के सदर्भ में F.I.R. दर्ज कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2009–10 से 2012–13 तक के अवशिष्ट कैश बुक/बैलेन्सशीट को शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

सेवानिवृत्त लेखाधिकारी तथा आन्तरिक लेखा सम्परीक्षक को मानदेय पर नियुक्त कर आडिट आपत्तियों के निस्तारण के क्रम में अवगत कराना है, कि इस कार्य हेतु श्री अशोक कान्ति चक्रवर्ती सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखा परीक्षक उपयुक्त पाये गये हैं। श्री चक्रवर्ती को कार्यादेश दिये जाने की प्रक्रिया लम्बित है। शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर आडिट आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित मदों की राशि को 2013–14 के पुनरीक्षित आय–व्ययक में शामिल कर लिया गया है।

सामान्य मद में धनराशि शेष न होने के कारण आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु विकास मद से सामान्य मद में स्थानान्तरित धनराशि रू0 3,10,00,000/– को शासन से अनुदान प्राप्त होने के पश्चात दि0 10.12.2013 को सामान्य मद से विकास मद में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

**fu.kZ;** सिस्टम मैनेजर को निर्देश दिया गया कि तत्काल ठण्ण्छण्स्ण् के अधिकारियों से मिलकर स्।छ स्थापना कराने की व्यवस्था सुनिशिचित करें।

आयकर विभाग में धनराशि रू• 1,73,38,270/– के आयकर जमा करने संबंधी प्रकरण का संज्ञान लेते हुए समिति ने संस्तुत किया कि संम्बन्धित समस्त निर्माण एजेन्सी एवं कार्यदायी संस्थाओ को लीगल नोटिस भेज कर उनसे अपील कार्यवाही हेतु वांछित समस्त अभिलेख निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त किया जाय। प्राप्त नही कराने की दशा में एजेन्सियों के विरूद्व नियम संगत कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

मिनी आडिटोरियम निर्माण में कार्यदायी संस्था द्वारा की गई धोखाधड़ी के फलस्वरूप कथित वित्तीय अनियमितता के लिये वांछित औपचारिकता शीघ्रातिशीघ पूर्ण कर सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध F.I.R. दर्ज कराने की संस्तुति की गई।

विश्वविद्यालय में लेखाधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक के प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले रिक्त पद पर शीघ्रातिशीघ्र तैनाती हेतु सम्बन्धित विभाग के निदेशक एवं प्रमुख सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से अनुरोध करने की संस्तुति की गई। इसके अतिरिक्त वित्त समिति ने

विश्वविद्यालय के संवर्गीय शिक्षणेत्तर पदो के पुर्नगठन हेतु वांछित प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु भेजने का निर्देश दिया।

सेवानिवृत्त लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखा परीक्षक की सेवायें न लेने का निर्णय लिया गया। आडिट आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही लेखा विभाग में तैनात कर्मियों से ही लिये जाने का निर्देश दिया गया।

**कार्यक्रम संख्या 2** पुनरीक्षित आय–व्ययक वर्ष 2013–14 एवं आय–व्ययक अनुमान वर्ष 2014–15 पर विचार विमर्श।

**प्रस्तुत प्रस्ताव :** वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 265013000/– की आय का मूल अनुमान किया गया था जिसके सापेक्ष आय रू0 269619000/– पुनरीक्षित किया गया है इसी प्रकार रू0 338591556/– व्यय का मूल अनुमान किया गया था जिसके सापेक्ष व्यय रू0 311288699/– पुनरीक्षित किया गया है। इस प्रकार रू0 41669699/– का घाटा सम्भावित है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल आय रू0 270424000/– का अनुमान किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय रू0 37,06,51,434/– का अनुमान किया गया है। इस प्रकार कुल रू0 10,02,27,434/– के घाटे का अनुमान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के कुल व्यय रू0 37,06,51,434/– में से वेतनादि पर ही रू0 27,86,70,934/– के व्यय का अनुमान किया गया है, जो कुल अनुमानित आय रू0 27,04,24,000/– से अधिक है। घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए शासन से अनुदान प्राप्त करने हेतु अनुरोध किये जाने का प्रस्ताव है।

निर्णय विचार विमर्श के अनन्तर उक्त प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई।

**कार्यक्रम संख्या 3** छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष के नाम स्वीकृत रक्षित निधि रू0 500/– के स्थान पर रू0 5000/– किये जाने पर विचार विमर्श।

**प्रस्तुत प्रस्तावः** कुलसचिव द्वारा प्रसारित कार्यालय ज्ञाप सं0 सा0 2083/2006 दि0 13.01.06 द्वारा छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष के नाम से रू0 500/– वर्ष में तीन बार के लिए रक्षित व्यय स्वीकृत हैं। प्रवेश एवं परीक्षार्थियों से सम्बन्धित कार्य आनलाइन करने के निमित्त सम्बन्धित सामग्री क्रय करने की आवश्यकता के दृष्टिगत छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष के नाम स्वीकृत रक्षित निधि रू0 500/– के स्थान पर रू0 5000/– वर्ष में दो बार रक्षित व्यय स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है। एक मुश्त व्यय की सीमा स्वीकृत राशि का 20% होगा।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई।

**कार्यक्रम संख्या 4** श्री राकेश कुमार मालपाणी, कुलसचिव से शताब्दी भवन स्थित अतिथि भवन के एक कक्ष के सामान्य शुल्क रू0 400/– प्रतिदिन के स्थान पर रू0 100/– प्रतिदिन किराया लिये जाने के अनुमोदन पर विचार विमर्श।

**प्रस्तुत प्रस्ताव :** वर्तमान में कुलसचिव आवास मरम्मत योग्य होने के कारण उसमें
आवासित न हो पाने की स्थिति में शताब्दी भवन स्थित अतिथि भवन के एक कक्ष के सामान्य शुल्क रू0 400/– प्रतिदिन के स्थान पर रू0 100/– प्रतिदिन किराया लिये जाने पर उक्त के अनुमोदन का प्रस्ताव।

निर्णय प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई।

**कार्यक्रम संख्या 5** बारहवें पंचवर्षीय योजान्तर्गत यू•जी•सी• से आवण्टित अनुदान के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित प्राथमिकता पर विचार।

**प्रस्तुत प्रस्ताव :** 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवंटित धनराशि के संदर्भ में मदवार आवंटन का प्रस्ताव निम्नवत् है –

## BUILDINGS

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Renovation of Building | 1 crore |
| 2 | i. Construction of New Building | 3 crore |
| | ii Campus Development | 25 Lakh |
| | **Total** | **4.25 Crores** |
| 3 | Staff | |
| 4 | i. Books and Journals | 50 Lakh (for departments) |
| | ii. Equipment | 30 Lakh (for departements) |
| | **Total** | **80 Lakh** |
| 5 | Laboratory Equipment & Infrastructure | 58 Lakh |
| 6 | Annual Maintenance | 15 Lakh |
| 7 | Cultural Activities | 5 Lakh |
| 8 | Development of ICT | 100 Lakh |
| 9 | Health Care | 10 Lakh |
| 10 | Student Amenities (including hostel) | 45 Lakh |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | Travel Grant | 5 Lakh |
| 12 | Conference, Seminar/Workshops etc. | 15 Lakh |
| 13 | Publication Grant | 5 Lakh |
| 14 | Appointment of Visiting Professors/Fellows | 5 Lakh |
| 15 | Career & Counseling Cell | 5 Lakh |
| 16 | Guest/Part Time Teachers | 40 Lakh |
| 17 | Library (Books and Journals) | 40 Lakh |
| | | **428.00 Lakh** |
| | **Total** | **8.53 Crores** |
| | | |

निर्णय — प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई।

**कार्यक्रम संख्या 6** — अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य आवश्यक विषय पर विचार।

**प्रस्तुत प्रस्ताव :(क)** — प्रो• वी• कुटुम्ब शास्त्री, पूर्व कुलपति को वित्त समिति की बैठक दिनांक 5.10.10 के कार्यक्रम संख्या 7 के प्रस्ताव के अनुसार अवकाश वेतन एवं पेंशनरी अंशदान रू• 523494/– का भुगतान किया गया था। आडिट द्वारा प्रो• शास्त्री को प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने और तदनुसार प्रतिनियुक्ति की किसी शर्तो यथा – अवकाश वेतन, पेंशनरी अंशदान तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि के भुगतान का उल्लेख नही होने के कारण किये गये भुगतान रू• 523494/– पर आपत्ति की गई है। अतएवं उक्त भुगतानित राशि के वसूली के प्रस्ताव पर विचार विमर्श।

निर्णय — वित्त समिति ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए प्रो• कुटुम्ब शास्त्री से रू• 523494/– को वसूली योग्य पाया। संस्तुति की गयी की छठवें वेतन के एरियर से वसूली कर ली जाय। यदि सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल नही होती है तो प्रो• शास्त्री को शेष राशि जमा करने हेतु सूचित किया जाय। साथ ही इस प्रकरण की जानकारी माननीय कुलाधिपति महोदय को भी दी जाय। प्रो• शास्त्री के अतिरिक्त जिन अध्यापको/अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अधिक/अनियमित वेतन भुगतान सम्बन्धि आडिट आपत्ति लम्बित है तो उनसे भी वेतन का एरियर अथवा मासिक वेतन आदि से धनराशि वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

निर्णय — प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई।

**प्रस्तुत प्रस्ताव :(ख)** — विश्वविद्यालय की आय वृद्धि के दृष्टिगत शताब्दी भवन किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा हुई और यह महसूस किया गया कि शताब्दी भवन में रंगरोगन एवं साज–सज्जा कराने तथा बाह्य आधारभूत सुविधाए यथा सफाई, किचेन निर्बाध विद्युत व्यवस्था आदि मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के पश्चात शताब्दी भवन किराये का पुनर्निधारण करना उचित होगा।

निर्णय — प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई।

**प्रस्तुत प्रस्ताव :(ग)** — वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव के विभागीय कार्यो/शासकीय कार्यो हेतु वाहन क्रय करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। कार्यहित में आवश्कतानुसार बाजार दर पर किराये के वाहन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

निर्णय — प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई।
कुलपति जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(मुकुन्दी लाल गुप्ता)
वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
वित्त समिति

वित्त समिति की उपर्युक्त संस्तुति पर विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्देश दिया कि-

1- श्री राकेश कुमार मालपाणी, कुलसचिव को शताब्दी भवन स्थिति अतिथि भवन में रहने की अवधि में वित्तीय नियम के अनुसार आवासभत्ता आदि प्रदान किया जाय।

2- 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत यू॰जी॰सी॰ से आवण्टित अनुदान के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना के लिए भवन (Buldings) के आवंण्टित धनराशि को अधोलिखित रूप में परिवर्तित कर दिया जाय़।

1- Renovation og Building - 3 Crore
2- (i) Construction of New Building -1 Crore
(ii) Campus Development -25 Lakh
Total 4.25 Crores

**Renovation of Building हेतु आवंटित धनराशि से ऐतिहासिक मुख्यभवन के छत का मरम्मत कराया जाय। साथ ही यह मरम्मत कार्य INTACH से कराया जाय।**

3- प्रो॰वी॰कुटुम्ब शास्त्री, पूर्व कुलपति से रू॰ 523494/- की छठवें वेतन के एरियर से वसूली कर ली जाय। यदि सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल नही होती है तो प्रो॰शास्त्री को शेष राशि जमा करने हेतु सूचित किया जाय और इसकी सूचना गुजरात के मा॰राज्यपाल (कुलाधिपति, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय) को भी सूचित कर दिया जाय।

4- जिन अध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अधिक अनियमित वेतन भुगतान सम्बन्धी आडिट आपत्ति लम्बित है उनसे भी वेतन का एरियर एथवा मासिक वेतन आदि से धनराशि वसूली करने से पहले एक बार सम्बन्धितों को सूचित किया जाय। तत्पश्चात् कटौती की कार्यवाही की जाय। साथ ही परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि आडिट आपत्तियों का निस्तारण शीघ्रताशीघ्र की जाय।

**उपर्युक्त निर्देश प्रदान करते हुए कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से वित्त समिति की संस्तुति दिनांक 12.02.2014 पर स्वीकृति प्रदान करते हुए पुनरीक्षित आय-व्ययक वर्ष 2013-2014 एवं प्रस्तावित आय-व्ययक वर्ष 2014-15 पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।**

वित्त समिति की संस्तुति पर विचार के क्रम में परिषद् के सदस्य प्रो॰रामकिशोर त्रिपाठी के प्रस्ताव एवं प्रो॰ आशुतोष मिश्र के अनुमोदन पर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से अधिनियम की धारा 26(1)(घ) के अंतर्गत **प्रो॰ माता बदल शुक्ल, पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्ध शास्त्र संकाय, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी** को वित्त समिति का सदस्य निर्वाचित किया।

**कार्यक्रम संख्या-4-** विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 16.02.2014 की संस्तुतियों पर विचार।

**स्थगित**

**कार्यक्रम संख्या-5-** शासनादेश संख्या-1366/सत्तर-1-2013-16(114)/2010टी॰सी॰, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2010 (मुख्य विनियम) के अनुलग्नक की धारा-6.1.0 एवं 6.0.2 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में परिनियम संशोधन पर विचार।

परिषद् के समक्ष कुलसचिव ने अधोलिखित शासनादेश संख्या-1366/सत्तर-1-2013-16(114)/2010 टी॰सी॰, दिनांक 26 दिसम्बर 2013 प्रस्तुत किया-

संख्याः 1366 / सत्तर—1—2013—16(114) / 2010टी0सी0

प्रेषक,

निधि केसरवानी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग—1 लखनऊ : दिनांक : 26 दिसम्बर, 2013

विषयः—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2010 (मुख्य विनियम) के अनुलग्नक की धारा—6.1.0 एवं 6.0.2 में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 (छायाप्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2013 में उल्लिखित धारा 6.1.0 एवं 6.0.2 में प्रस्तावित संशोधन के उक्त प्राविधानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 15 दिन के भीतर विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर प्रतिस्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीया,

( निधि केसरवानी )
विशेष सचिव।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2013/श्रावण 2, 1935
No. 199] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2013/SHRAVANA 2, 1935

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2013

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य एकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) (द्वितीय संशोधन), विनियम, 2013**

**सं. सं. 1–2/2009 (EC/PS) V(i) Vol–II.**—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3:1956) के अनुच्छेद 26 के उप अनुच्छेद (1) की धारा (ई) एवं (जी) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में एतद्द्वारा निम्न संशोधित विनियमों का सृजन करता है, नामत :

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन

1.1 ये विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के उपाय) (द्वितीय संशोधन), विनियम, 2013 कहलायेंगे ।

1.2 सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही इन्हें तुरंत प्रभावी माना जायेगा।

2. यूजीसी विनियम, (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य एकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय), 2010 (जिसके पश्चात् इन्हें मुख्य विनियम कहा जायेगा) के अनुलग्नक की धारा 6.1.0 संशोधित की जाएगी तथा इसका प्रतिस्थापन निम्न धारा द्वारा किया जाएगा।

6.1.0 इस समग्र कार्यविधि में ऐसी पारदर्शी, उद्देश्यपरक एवं विश्वसनीय प्रणाली समाविष्ट होगी जो आवेदकों की योग्यता एवं प्रत्यायकों के विश्लेषण पर आधारित होगी तथा उनके द्वारा विभिन्न सापेक्ष दिशाओं में किए गए निष्पादन के अभिलेख एक प्राप्तांक प्रणाली वाले प्रारूप में दर्ज रहेगा जो उन अकादमिक निष्पादन सूचकों (API) पर आधारित होगा जैसा कि उन विनियमों के परिशिष्ट III की तालिका I से IX के अंतर्गत दर्शाया गया है।





बशर्ते, API प्राप्तांकों को केवल टनुवीक्षण के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा । CAS प्रत्याशियों के विशिष्ट आकलन में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

बशर्ते श्रेणी III की प्रत्येक उप श्रेणी के API के प्राप्तांकों (शोध एवं प्रकाशन एवं अकादमिक योगदान) का प्रत्यक्ष भर्ती/ CAS हेतु समग्र API प्राप्तांकों का उच्चतम स्वरूप निम्नवत होगा:

| | उप–श्रेणी | API की प्रतिशतता के रूप में उच्चतमांक अनुप्रयोग में समग्र अंक |
|---|---|---|
| III (ए) | शोध प्रपत्र (पत्रिकाएं इत्यादि) | 30% |
| III (बी) | शोध प्रकाशन (पुस्तकें इत्यादि) | 25% |
| III (सी) | शोध परियोजनाएँ | 20% |
| III (डी) | शोध मार्गदर्शन | 10% |
| III (ई) | प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं सम्मेलन/संगोष्ठी इत्यादि | 15% |

इस प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए विश्वविद्यालय, किसी संगोष्ठी या अध्ययन कक्ष में दिए गए व्याख्यान या विचार–विमर्श के अध्ययन से एवं/या ऐसी शोध प्रवृत्ति संबंधी योग्यता द्वारा जिससे साक्षात्कार के समय अध्यापन एवं शोध संबंधी अद्यतन प्रौद्योगिकी के उपयोग की क्षमता का आकलन किया जा सकेगा। इन विनियमों के अंतर्गत जहाँ कहीं भी चयन समितियों को निर्दिष्ट किया गया है, उनमें प्रत्यक्ष भर्ती/एवं CAS एवं पदोन्नतियों के लिए इन पद्धतियों का अनुसरण किया जा सकता है।"

मुख्य विनियमों की धारा 6.0.2 को संशोधित माना जाएगा तथा उसे निम्न धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

ये विनियम, 6.0.2 विश्वविद्यालयों द्वारा चयन समितियों एवं चयन प्रविधियों के लिए अपने संबद्ध सांविधिक निकायों के माध्यम से अपनाये जाएंगे, जिसमें अकादमिक निष्पादन सूचक (API) आधारित निष्पादन आधारित आत्म मूल्यांकन प्रणाली (PBAS) को संस्थागत स्तर पर विश्वविद्यालयी विभागों एवं उनके संघटक महाविद्यालय /संबद्ध महाविद्यालयों (सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/स्वायत्त/निजी महाविद्यालयों) में निगमित किये जाएंगे, जिससे सभी चयन पद्धतियों में इनका अनुपालन पारदर्शी रूप से किया जा सकेगा। प्रत्यक्ष भर्ती एवं करियर एडवान्समेंट स्कीम CAS हेतु अकादमिक निष्पादन सूचक आधारित एवं निष्पादन आधारित आत्ममूल्यांकन प्रणाली के लिए टेम्पलेट प्रोफॉर्मा अनुलग्नक–III में संलग्न किया गया है। विश्वविद्यालय, अपने अध्यापकों के लिए या इस टेम्पलेट प्रोफॉर्मा को स्वीकार करेगा या अपना आत्म आंकलन सह–निष्पादन

मूल्यांकन फार्म तैयार करेगा। इसको अपनाते हुए विश्वविद्यालय किसी भी श्रेणी अथवा अनुलग्नक–III में दर्शाये गए अकादमिक निष्पादन सूचक प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। भर्ती के किसी भी स्तर पर प्रत्याशियों की नुवीक्षण के लिए यदि विश्वविद्यालय चाहें तो न्यूनतम अपेक्षित प्राप्तांकों में परिवर्धन कर सकते हैं या उपयुक्त अतिरिक्त मानदण्डों का सृजन कर सकते हैं।

4. इन मुख्य विनियमों की धारा 7.3.0 को संशोधित माना जाएगा तथा उन्हें निम्न धारा द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा।

7.3.0 कुलपति :

I. सर्वोच्च दक्षता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता के सर्वोच्च व्यक्तियों को ही कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कुलपति पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति विख्यात शिक्षाविद, होने चाहिएं, जिनके पास किसी भी विश्वविद्यालयी प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा किसी भी प्रतिष्ठित शोध एवं/अथवा अकादमिक प्रशासनिक संगठन में समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव हो ।

II. कुलपति का चयन 3–5 प्रख्यात सदस्यों की नामसूची द्वारा किया जाएगा, जिसे एक सर्च–समिति द्वारा एक सार्वजनिक सूचना या नामांकन या एक टेलेंट सर्च प्रक्रिया या इन दोनों विधियों की प्रक्रिया के जरिये चिह्नित किया जाएगा। उपरोक्त सर्च समिति के सदस्य, उच्च शिक्षा क्षेत्र के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे तथा वे किसी भी रूप में संबद्ध विश्वविद्यालय से या उसके महाविद्यालयों से संबद्ध नहीं होंगे। सर्च समिति द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता को उचित महत्व देते हुए देश–विदेशों में उच्च शिक्षा संबंधी अध्यापन कार्य की योग्यता तथा अकादमिक या प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व दिया जाएगा तथा इसे लिखित रूप में पैनल सदस्यों की सूची के साथ विजिटर/ कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा। उस सर्च समिति का गठन, संबद्ध विश्वविद्यालय के अधिनियम/सांविधियों के अनुसार किया जाएगा।

III. विजिटर/कुलाधिपति, सर्च समिति द्वारा अनुशंसित नाम सूची में से कुलपति को नियुक्त करेंगे।

IV. कुलपति की सेवा शर्तें, संबद्ध विश्वविद्यालय के अधिनियम/सांविधियों में निर्धारित होंगी तथा मुख्य विनियमों के समानुरूप होंगी।

V. कुलपति के रूप में कार्यकाल की अवधि को भी चयनित पदस्थ व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं सहित परिगणित किया जाएगा ताकि वह सेवा संबंधी सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो।



5. मुख्य विनियम के परिशिष्ट–III की तालिका I [I, II एवं III ] संशोधित मानी जाएंगी तथा उन्हें तालिका I [I, II एवं III ] द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा, जो इन संशोधित विनियमों के साथ संलग्न है।

**अखिलेश गुप्ता, सचिव, यूजीसी**

[विज्ञापन III/4/असा./113/13]

**संशोधित परिशिष्ट– III तालिका–I**

भर्ती एवं करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) में अकादमिक निष्पादन सूचन (APIs) हेतु प्रस्तावित प्राप्तांक विश्वविद्यालयी/महाविद्यालयी अध्यापकों की पदोन्नतियाँ

श्रेणी 1, अध्यापन, अध्ययन एवं मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप

संक्षिप्त व्याख्या: अध्यापकों द्वारा आत्ममूल्यांकन पर आधारित API प्राप्तांकों को इन लक्ष्यों हेतु प्रस्तावित किया जाता है (क) अध्यापन संबंधी क्रियाकलाप (ख) विषयों का ज्ञान (ग) परीक्षा एवं मूल्यांकन में भागीदारी (घ) नवोन्मेषी अध्यापन एवं नवीन पाठ्यक्रम इत्यादि में योगदान। इस श्रेणी में अध्यापकों के लिए आवश्यक न्यूनतम API प्राप्तांक 75 हैं। आत्म–मूल्यांकन प्राप्तांक यथासंभव लक्ष्यपरक सत्यापन योग्य मानदण्डों पर आधारित होना चाहिए तथा इन्हें अनुवीक्षण/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।
विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य है कि वे ऐसे क्रियाकलापों का विवरण उपलब्ध करायें तथा संस्थागत अनिवार्यताओं द्वारा आवश्यक समझा जाने पर अधिमानताओं को समायोजित करें इसके बिना उस श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्तांकों की न्यूनतम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए।

| क्र.सं. | क्रियाकलाप की प्रकृति | अधिकतम अंक |
|---|---|---|
| 1. | व्याख्यान, संगोष्ठियों अनुशिक्षण, प्रायोगिक कक्षाएं, संपर्क घंटे, आवंटित व्याख्यानों की प्रतिशतता के रूप में दर्शाये गए | 50 |
| 2. | यूजीसी नियमों के अतिरिक्त व्याख्यान या अन्य अध्यापन ड्यूटी | 10 |
| 3. | पाठ्यचर्या के अनुसार ज्ञानोपार्जन एवं ज्ञान–अनुदेशों की तैयारी, छात्रों को अतिरिक्त स्रोत सामग्री उपलब्ध कराकर पाठ्य विवरण को समृद्ध बनाना | 20 |
| 4. | सहभागिता एवं नवोन्मेषी अध्यापन एवं अध्ययन प्रविधियां, विषयवस्तु को अद्यतन करना एवं पाठ्यक्रम सुधार आदि | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | परीक्षा ड्यूटी (निरीक्षण, प्रश्नपत्र तैयार करना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन /आकलन आवंटित संख्या के अनुसार) | 25 |
| | कुल प्राप्तांक | 125 |
| | न्यूनतम वांछित API प्राप्तांक | 75 |

णी क: किसी भी विशिष्ट श्रेणी के अध्यापक के लिए व्याख्यान एवं अनुशिक्षण कक्षाओं का आवंटन, यूजीसी नियमों के अंतर्गत है। विश्वविद्यालय, न्यूनतम कट ऑफ (कुल नियत अवकाश) यथा उपरोक्त 1 एवं 5 के लिए 80 %, इन उप श्रेणियों को इनसे कम प्राप्तांक न प्रदान किए. जाएं।

णी 2: API प्राप्तांकों को प्राप्त करने की प्रविधि एवं PBAS की श्रेणी 1 के विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत इन प्राप्तांकों को प्रदान करने की प्रविधि के लिए आदर्श तरीका।

1. जहाँ भी घंटों की संख्या को आकलन की इकाई माना जाता है, वहाँ अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उस गतिविधि के लिए समय–सारणी के अनुसार आवंटित किये गए घंटों की कुल संख्या तथा पिछले अकादमिक वर्ष में व्यय किये गए घंटों की संख्या की परिगणना करें। वह संस्थान, सरकारी समय–सारणी एवं छात्रों की उपस्थिति के रिकार्ड से इनका सत्यापन कर सकता है।

2. आवंटित घण्टों की संख्या की गणना करते समय केवल कार्यदिवस/सप्ताह को विचार में रखा जाएगा, उदारणार्थ यदि किसी अध्यापक को किसी संस्थान में कक्षा में अध्यापन के लिए प्रति सप्ताह 20 घण्टे दिये गए हैं तथा जो संस्थान प्रति सत्र 16 सप्ताह तक अध्यापन कार्य करता है, उस स्थिति में वह अध्यापक 320 घण्टे (यदि दूसरे सत्र में उसका अध्यापन भार उतना ही है तो इसमें अतिरिक्त 320 घण्टों का समायोजन करेगा) क्रम 1A (i) में दर्ज करेगा। जैसा कि यह यूजीसी नियम से 2 घण्टे अधिक है तो वह अध्यापक क्रम 1A (ii) में 2X16 घण्टों का हकदार होगा। ही ध्यान में रखा जाएगा तथा जो अध्यापक प्रति सत्र 16 सप्ताह तक अध्यापन कार्य करता है, वह अध्यापक 320 घण्टे (यदि दूसरी सत्र उसका अध्यापन भार उतना ही है तो इसमें अतिरिक्त 320 घण्टों का समायोजन करेगा) क्रम 1 A(i) दर्ज करेगा। जैसा कि यह यूजीसी नियम से 2 घंटे अधिक है तो वह अध्यापक क्रम 1 A(i) में 2×16 घंटों का हकदार होगा। (ii) यदि उस सत्र में अध्यापक ने तथ्यात्मक रूप से 275 घंटे का अध्यापन किया है तो वह 1 A के क्रम में 275 घंटे की दावेदारी करेगा। (iii) अतः कुल मिलाकर उसे 320+32+275 = 627 घंटे का श्रेय उस सत्र में मिलेगा। वह अध्यापक दूसरे सत्र में समान परिगणना करेगा तथा उसका समग्र जोड़ प्रत्येक क्रम में दर्ज किया जाएगा।

3. अधिकांश उप–श्रेणियों में किसी भी अध्यापक के कुल प्राप्तांक, उस विषय में





अनुमित सापेक्ष उप–जोड़ के सर्वाधिक प्राप्तोंकों से भी अधिक हो सकते हैं। उस स्थिति में, उस अध्यापक के अंकों को उसके सर्वाधिक प्राप्तोंकों के साथ जोड़ दिया जाएगा। उदाहरणार्थ: 900 उत्तर पुस्तिकाओं पर अंक प्रदान करने वाले अध्यापक को 300 घंटो का श्रेय दिया जा सकता है तथा उसके द्वारा अन्य 40 घंटे तक परीक्षा ड्यूटी भी प्रदान की है। कुल मिलाकर ये 340 घंटे = 34 प्वाइंट बनते है, परंतु उस श्रेणी के अंतर्गत उसे सर्वाधिक 20 प्वाइंट ही प्रदान किये जाएंगे।

4. जहाँ भी मानदंडों के अनुसार अनुवीक्षण समिति द्वारा आकलन आवश्यक हो जाता है वहाँ, उस अध्यापक को अपने निष्पादित कार्य का कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। ऐसे मानदंडों को प्रत्येक संस्थान द्वारा अग्रवर्ती रूप से विकसित किया जाना चाहिए तथा यहाँ पर दर्शायी गई विभिन्न संदर्भित श्रेणियों की आवश्यकताओं का निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

5. 4 C के तहत, अध्यापक को केवल यही साक्ष्य देना अनिवार्य होता है कि उसने एक अज्ञात प्रतिपुष्टि प्रश्नावली को तैयार किया था, जिसमें छात्र, उसके द्वारा किये गए अध्यापन कार्य की गुणवत्ता का आकलन कर सकें। उस प्रतिपुष्टि प्रश्नावली की विषयवस्तु के बावजूद वह समस्त प्वाइंट का हकदार होगा। छात्रों द्वारा प्रदान की गई टिप्पणियों को उस अध्यापिका के विरूद्ध इस सारी कवायद में नहीं किया जाएगा।

| श्रेणी | क्रियाकलाप का स्वरूप | टिप्पणी | आकलन की इकाई | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|---|
| श्रेणी 1 | अध्ययन,अध्यापन एवं मूल्यांकन से संबंधित क्रियाकलाप | | | |
| (i) | कक्षा अध्यापन (व्याख्यान, गोष्ठी सहित) | आवंटन अनुसार | प्रति अकादमिक वर्ष के अनुसार घंटे | |
| (ii) | कक्षा अध्यापन (व्याख्यानों, गोष्ठी सहित) यूजीसी नियमों के अतिरिक्त | आवंटन अनुसार | प्रति अकादमिक वर्ष के अनुसार घंटे | |
| (iii) | कक्षा अध्यापन (व्याख्यान, गोष्ठी सहित) तैयारी की अवधि | उपस्थिति पंजिका में दर्ज वास्तविक अध्यापन घंटे | प्रति अकादमिक वर्ष के अनुसार घंटे | |
| | अनुशिक्षण एवं प्रायोगिक कक्षाएँ | उपस्थिति पंजिका में दर्शाये गए वास्तविक ,विवरण के अनुसार | प्रति अकादमिक वर्ष के अनुसार घंटे | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | छात्रों के साथ कक्षा से बाहर संपर्क | 1A में दर्शाये गए घंटों का अधिकतम 1 घंटा | | |
| | **उप–जोड़ 1** | **प्राप्तांक=घंटे /10 (अधिकतम प्राप्तांक 100)** | | |
| 2 | शोध पर्यवेक्षण (स्नातकोत्तर शोध प्रबंध सहित) | प्रति कार्य सप्ताह प्रति छात्र अधिकतम 1 घंटा | | |
| | **उप–जोड़ 2** | **प्राप्तांक=घंटे /10 (अधिकतम प्राप्तांक= 30)** | | |
| 3 A | प्रश्न–पत्र तैयार करना, संतुलन एवं संबद्ध कार्य | वास्तविक घंटे | **शैक्षणिक वर्ष प्रति घंटे** | |
| 3 B | सतर्कता / पर्यवेक्षण एवं संबद्ध परीक्षा की ड्यूटी | वास्तविक घंटे | **शैक्षणिक वर्ष प्रति घंटे** | |
| 3 C | आंतरिक आकलन, बाह्य एवं पुर्नमूल्यांकन से संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं एवं नियत कार्यों से संबंधित मूल्यांकन /आकलन | प्रति पूर्ण उत्तर पुस्तिका के लिए अधिकतम 20 मिनट | **शैक्षणिक वर्ष प्रति घंटे** | |
| | **उप–जोड़ 3** | **प्राप्तांक=घंटे /10 (अधिकतम प्राप्तांक 20)** | | |
| 4 A | अध्यापन की नवोन्मेषी प्रविधियाँ द्विभाषी / बहुभाषी अध्यापन सहित नवोन्मेषी पाठ्यक्रम की तैयारी हेतु नवोन्मेषी अध्यापन | उपलब्ध कराया जाने वाले साक्ष्य। टनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों का अंतिम रूप को अंतिम रूप दिया जाएगा | अद्वितीय = 10<br>अति उत्तम = 7<br>उत्तम = 5<br>औसत = 3<br>साधारण =1 | |
| 4B | छात्रों के लिए नूतन अध्ययन–अध्यापन सामग्री जिसमें अनुवाद, संपर्क | उपलब्ध कराया जाने वाले साक्ष्य। टनुवीक्षण समिति | अद्वितीय = 10<br>अति उत्तम = 7<br>उत्तम = 5 | |

(भाग III—खण्ड 4) भारत का राजपत्र : असाधारण 7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | छात्रों के साथ कक्षा से बाहर संपर्क | 1A में दर्शाये गए घंटों का अधिकतम 1 घंटा | | |
| | **उप–जोड़ 1** | **प्राप्तांक=घंटे /10 (अधिकतम प्राप्तांक 100)** | | |
| 2 | शोध पर्यवेक्षण (स्नातकोत्तर शोध प्रबंध सहित) | प्रति कार्य सप्ताह प्रति छात्र अधिकतम 1 घंटा | | |
| | **उप–जोड़ 2** | **प्राप्तांक=घंटे /10 (अधिकतम प्राप्तांक= 30)** | | |
| 3 A | प्रश्न–पत्र तैयार करना, संतुलन एवं संबद्ध कार्य | वास्तविक घंटे | **शैक्षणिक वर्ष प्रति घंटे** | |
| 3 B | सतर्कता / पर्यवेक्षण एवं संबद्ध परीक्षा की ड्यूटी | वास्तविक घंटे | **शैक्षणिक वर्ष प्रति घंटे** | |
| 3 C | आंतरिक आकलन, बाह्य एवं पुर्नमूल्यांकन से संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं एवं नियत कार्यों से संबंधित मूल्यांकन /आकलन | प्रति पूर्ण उत्तर पुस्तिका के लिए अधिकतम 20 मिनट | **शैक्षणिक वर्ष प्रति घंटे** | |
| | **उप–जोड़ 3** | **प्राप्तांक=घंटे /10 (अधिकतम प्राप्तांक 20)** | | |
| 4 A | अध्यापन की नवोन्मेषी प्रविधियाँ द्विभाषी / बहुभाषी अध्यापन सहित नवोन्मेषी पाठ्यक्रम की तैयारी हेतु नवोन्मेषी अध्यापन | उपलब्ध कराया जाने वाले साक्ष्य। टनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों का अंतिम रूप को अंतिम रूप दिया जाएगा | अद्वितीय = 10<br>अति उत्तम = 7<br>उत्तम = 5<br>औसत = 3<br>साधारण =1 | |
| 4B | छात्रों के लिए नूतन अध्ययन–अध्यापन सामग्री जिसमें अनुवाद, संपर्क | उपलब्ध कराया जाने वाले साक्ष्य। टनुवीक्षण समिति | अद्वितीय = 10<br>अति उत्तम = 7<br>उत्तम = 5 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सामग्री अध्ययन पैक या समान अतिरिक्त साधन | द्वारा प्राप्तांकों का अंतिम रूप को अंतिम रूप दिया जाएगा | औसत = 3<br>साधारण =1 | |
| 4C | कक्षा अध्यापन एवं छात्रों के मध्य अन्योन्यक्रिया की गुणवत्ता पर के द्वारा की गई अज्ञात छात्रों की प्रतिपुष्टि का उपयोग | संलग्न किया जाने वाला प्रोफार्मा एवं सारांश प्रतिपुष्टि | प्रति पाठ्यक्रम 2 प्वाइंट (अधिकतम 10 प्वाइंट) | |

प्रोन्नति हेतु वाँछित न्यूनतम प्राप्ताँक: श्रेणी I एवं II के कुल जोड़ 250 में से 150, श्रेणी 1 में से न्यूनतम 100 (अधिकतम अंक 180) एवं श्रेणी II में से 20 (अधिकतम अंक 70)

*****

संशोधित श्रेणी II सह पाठ्येत्तर विस्तारण एवं व्यावसायिक विकास संबंधी क्रियाकलाप

संक्षिप्त व्याख्या: अध्यापक के आत्म–आकलन पर आधारित, श्रेणी II के सह पाठ्येतर एवं विस्तारण क्रियाकलाप; एवं व्यावसायिक विकास संबंधी योगदान हेतु API प्राप्तांकों को प्रस्तावित किया गया है। अध्यापक की प्रोन्नति की पात्रता हेतु वांछित न्यूनतम API प्राप्ताँक 15 है। मदों एवं प्रस्तावित प्राप्ताँकों की एक सूची नीचे दर्शायी गयी है। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी अध्यापक कई मदों से अंक अर्जित कर सकते हैं, जबकि कुछ क्रियाकलाप केवल एक या गिने–चुने अध्यापकों द्वारा ही संपन्न किये जा सकते हैं। क्रियाकलापों की सूची इतनी व्यापक है कि इस श्रेणी में न्यूनतम वांछित API प्राप्ताँक (15) समस्त अध्यापकों को प्राप्त हो सकता है। पहले की तरह ही, आत्म–आकलन प्राप्ताँक उद्देश्यपरक प्रमाणनीय मानदण्ड पर आधारित होंगे तथा उन्हें अनुवीक्षण/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।
निम्नवत दर्शायी गयी मॉडल तालिका क्रियाकलापों के समूह एवं API प्राप्ताँकों को दर्शाती है। विश्वविद्यालय इन क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत करें; संस्थागत विशिष्टताओं को आवश्यक समझा जाने पर उस अधिमानता को, इस श्रेणी में वांछित न्यूनतम प्राप्तांकों को परिवर्तित किये बिना समायोजित किया जाएगा।

| क्र.स. | क्रियाकलाप की प्रकृति | अधिकतम प्राप्ताँक |
|---|---|---|
| 1. | छात्र संबंधी पाठ्येतर, विस्तारण एवं क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप (जैसे कि NSS/NCC एवं अन्य माध्यम, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, विषयगत घटनाक्रम–मंत्रणा एवं परामर्श) | 20 |

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सामग्री अध्ययन पैक या समान अतिरिक्त साधन | द्वारा प्राप्तांकों का अंतिम रूप को अंतिम रूप दिया जाएगा | औसत = 3<br>साधारण =1 | |
| 4C | कक्षा अध्यापन एवं छात्रों के मध्य अन्योन्यक्रिया की गुणवत्ता पर के द्वारा की गई अज्ञात छात्रों की प्रतिपुष्टि का उपयोग | संलग्न किया जाने वाला प्रोफार्मा एवं सारांश प्रतिपुष्टि | प्रति पाठ्यक्रम 2 प्वाइंट (अधिकतम 10 प्वाइंट) | |

प्रोन्नति हेतु वाँछित न्यूनतम प्राप्ताँक: श्रेणी I एवं II के कुल जोड़ 250 में से 150, श्रेणी 1 में से न्यूनतम 100 (अधिकतम अंक 180) एवं श्रेणी II में से 20 (अधिकतम अंक 70)

*****

संशोधित श्रेणी II सह पाठ्येत्तर विस्तारण एवं व्यावसायिक विकास संबंधी क्रियाकलाप

संक्षिप्त व्याख्या: अध्यापक के आत्म–आकलन पर आधारित, श्रेणी II के सह पाठ्येतर एवं विस्तारण क्रियाकलाप, एवं व्यावसायिक विकास संबंधी योगदान हेतु API प्राप्तांकों को प्रस्तावित किया गया है। अध्यापक की प्रोन्नति की पात्रता हेतु वांछित न्यूनतम API प्राप्ताँक 15 है। मदों एवं प्रस्तावित प्राप्ताँकों की एक सूची नीचे दर्शायी गयी है। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी अध्यापक कई मदों से अंक अर्जित कर सकते हैं, जबकि कुछ क्रियाकलाप केवल एक या गिने–चुने अध्यापकों द्वारा ही संपन्न किये जा सकते हैं। क्रियाकलापों की सूची इतनी व्यापक है कि इस श्रेणी में न्यूनतम वांछित API प्राप्ताँक (15) समस्त अध्यापकों को प्राप्त हो सकता है। पहले की तरह ही, आत्म–आकलन प्राप्ताँक उद्देश्यपरक प्रमाणनीय मानदण्ड पर आधारित होंगे तथा उन्हें अनुवीक्षण/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।
निम्नवत दर्शायी गयी मॉडल तालिका क्रियाकलापों के समूह एवं API प्राप्ताँकों को दर्शाती है। विश्वविद्यालय इन क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत करें; संस्थागत विशिष्टताओं को आवश्यक समझा जाने पर उस अधिमानता को, इस श्रेणी में वांछित न्यूनतम प्राप्तांकों को परिवर्तित किये बिना समायोजित किया जाएगा।

| क्र.स. | क्रियाकलाप की प्रकृति | अधिकतम प्राप्ताँक |
|---|---|---|
| 1. | छात्र संबंधी पाठ्येतर, विस्तारण एवं क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप (जैसे कि NSS/NCC एवं अन्य माध्यम, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, विषयगत घटनाक्रम–मंत्रणा एवं परामर्श) | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | अकादमिक एवं प्रशासनिक समितियों की सहभागिता के माध्यम से विभाग एवं संस्थान की कारपोरेट लाइफ के प्रति योगदान एवं दायित्व | 15 |
| 3. | व्यावसायिक विकासगत क्रियाकलाप (जैसेः संगोष्ठियों, सम्मेलनों, लघु अवधि के प्रशिक्षणों पाठ्यक्रमों, वार्ताओं, व्याख्यानों, सभाओं की सदस्यताओं, प्रचार– प्रसार एवं सामान्य मदें जिन्हें निम्न श्रेणी III में आवृत्त नहीं किया गया है।) | 15 |
| | न्यूनतम वांछित API प्राप्तांक | 15 |

टिप्पणी: API प्राप्तांकों को प्राप्त करने की प्रविधि एवं PBAS की श्रेणी 1 के विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत इन प्राप्तांकों को प्रदान करने की प्रविधि के लिए आदर्श तरीका।

1. जहाँ भी घंटों की संख्या को आकलन की इकाई माना जाता है, वहाँ अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उस गतिविधि के लिए समय–सारणी के अनुसार आवंटित किये गए घंटों की कुल संख्या तथा पिछले अकादमिक वर्ष में व्यय किये गए घंटों की संख्या की परिगणना करें। वह संस्थान, सरकारी समय–सारणी एवं छात्रों की उपस्थिति के रिकार्ड से इनका सत्यापन कर सकता है।

2. आवंटित घण्टों की संख्या की गणना करते समय केवल कार्यदिवस/सप्ताह को विचार में रखा जाएगा, उदाहरणार्थ यदि किसी अध्यापक को किसी संस्थान में कक्षा में अध्यापन के लिए प्रति सप्ताह 20 घण्टे दिये गए हैं तथा जो संस्थान प्रति सत्र 16 सप्ताह तक अध्यापन कार्य करता है उस स्थिति में वह अध्यापक 320 घण्टे (यदि दूसरे सत्र में उसका अध्यापन भार उतना ही है तो इसमें अतिरिक्त 320 घण्टों का समायोजन करेगा) क्रम 1A (i) में दर्ज करेगा। जैसा कि यह यूजीसी नियम से 2 घण्टे अधिक है तो वह अध्यापक क्रम 1A (ii) में 2X16 घण्टों का हकदार होगा। ही ध्यान में रखा जाएगा तथा जो अध्यापक प्रति सत्र 16 सप्ताह तक अध्यापन कार्य करता है वह 320 घण्टे (यदि दूसरी सत्र उसका अध्यापन भार उतना ही है तो इसमें अतिरिक्त 320 घण्टों का समायोजन करेगा) क्रम 1 A(i) दर्ज करेगा। जैसा कि यह यूजीसी नियम से 2 घंटे अधिक है तो वह क्रम 1 A(i) में 2×16 घंटों का हकदार होगा।
(ii) यदि उस सत्र में अध्यापक ने तथ्यात्मक रूप से 275 घंटे का अध्यापन किया है तो वह 1 A के क्रम में 275 घंटे की दावेदारी करेगा। (iii) अतः कुल मिलाकर उसे 320+32+275 = 627 घंटे का श्रेय उस सत्र में मिलेगा। वह अध्यापक दूसरे सत्र में समान परिगणना करेगा तथा उसका समग्र जोड़ प्रत्येक क्रम में दर्ज किया जाएगा।

3. अधिकांश उप–श्रेणियों में किसी भी अध्यापक के कुल प्राप्तांक, उस विषय में अनुमित सापेक्ष उप–जोड़ के सर्वाधिक प्राप्तांकों से भी अधिक हो सकते हैं। उस स्थिति में, उस अध्यापक के अंकों को उसके सर्वाधिक प्राप्तांकों के साथ जोड़ दिया जाएगा। उदाहरणार्थः 900 उत्तर पुस्तिकाओं पर अंक प्रदान करने वाले अध्यापक को 300 घंटों का श्रेय दिया जा सकता है तथा उसके द्वारा अन्य 40 घंटे तक परीक्षा ड्यूटी भी प्रदान की है। कुल मिलाकर ये 340 घंटे = 34 प्वाइंट बनते है, परंतु उस श्रेणी के अंतर्गत उसे सर्वाधिक 20 प्वाइंट ही प्रदान किये जाएंगे।



4. जहाँ भी मानदंडों के अनुसार अनुवीक्षण समिति द्वारा आकलन आवश्यक हो जाता है वहाँ उस अध्यापक को अपने निष्पादित कार्य का कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। ऐसे मानदंडों को प्रत्येक संस्थान द्वारा अग्रवर्ती रूप से विकसित किया जाना चाहिए तथा यहाँ पर दर्शायी गई विभिन्न संदर्भित श्रेणियों की आवश्यकताओं का निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

5. 4 C के तहत, अध्यापक को केवल यही साक्ष्य देना अनिवार्य होता है कि उसने एक अज्ञात प्रतिपुष्टि प्रश्नावली को तैयार किया था, जिसमें छात्र, उसके द्वारा किये गए अध्यापन कार्य की गुणवत्ता का आकलन कर सकें। उस प्रतिपुष्टि प्रश्नावली की विषयवस्तु के बावजूद वह समस्त प्वाइंट का हकदार होगा। छात्रों द्वारा प्रदान की गई टिप्पणियों को उस अध्यापक के विरूद्ध इस सारी कवायद में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

| श्रेणी | क्रियाकलाप की प्रकृति | टिप्पणी | आकलन की इकाई | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|---|
| श्रेणी II | पाठ्येतर, विस्तारण एवं व्यावसायिक विकास संबंधी क्रियाकलाप | | | |
| 5A | विषयगत पाठ्येतर क्रियाकलाप (उदा. क्षेत्रीय कार्य, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी, गतिविधियाँ, करियर परामर्श इत्यादि) | साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। अनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों को अंतिम रूप दिया जाएगा | अद्वितीय = 10<br>अति उत्तम = 7<br>उत्तम = 5<br>औसत = 3<br>साधारण = 1 | |
| 5B | अन्य पाठ्येतर क्रियाकलाप (सांस्कृतिक, खेलकूद, NSS, NCC आदि) | साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। अनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों को अंतिम रूप दिया जाएगा | अद्वितीय = 10<br>अति उत्तम = 7<br>उत्तम = 5<br>औसत = 3<br>साधारण = 1 | |
| 5C | क्रियाकलापों का विस्तारण एवं प्रचार– प्रसार (सार्वजनिक व्याख्यान, वार्ताएँ, संगोष्ठियाँ, लोकप्रिय लेख, जो श्रेणी III के अंतर्गत आवृत्त नहीं) | साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। अनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों को अंतिम रूप दिया जाएगा | अद्वितीय = 10<br>अति उत्तम = 7<br>उत्तम = 5<br>औसत = 3<br>साधारण = 1 | |
| | उप–जोड़ 5 | | | |

4. जहाँ भी मानदंडों के अनुसार अनुवीक्षण समिति द्वारा आकलन आवश्यक हो जाता है वहाँ उस अध्यापक को अपने निष्पादित कार्य का कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। ऐसे मानदंडों को प्रत्येक संस्थान द्वारा अग्रवर्ती रूप से विकसित किया जाना चाहिए तथा यहाँ पर दर्शायी गई विभिन्न संदर्भित श्रेणियों की आवश्यकताओं का निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

5. 4 C के तहत, अध्यापक को केवल यही साक्ष्य देना अनिवार्य होता है कि उसने एक अज्ञात प्रतिपुष्टि प्रश्नावली को तैयार किया था, जिसमें छात्र, उसके द्वारा किये गए अध्यापन कार्य की गुणवत्ता का आकलन कर सकें। उस प्रतिपुष्टि प्रश्नावली की विषयवस्तु के बावजूद वह समस्त प्वाइंट का हकदार होगा। छात्रों द्वारा प्रदान की गई टिप्पणियों को उस अध्यापक के विरूद्ध इस सारी कवायद में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

| श्रेणी | क्रियाकलाप की प्रकृति | टिप्पणी | आकलन की इकाई | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|---|
| श्रेणी II | पाठ्येतर, विस्तारण एवं व्यावसायिक विकास संबंधी क्रियाकलाप | | | |
| 5A | विषयगत पाठ्येतर क्रियाकलाप (उदा. क्षेत्रीय कार्य, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी, गतिविधियाँ, करियर परामर्श इत्यादि) | साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। अनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों को अंतिम रूप दिया जाएगा | अद्वितीय = 10<br>अति उत्तम = 7<br>उत्तम = 5<br>औसत = 3<br>साधारण =1 | |
| 5B | अन्य पाठ्येतर क्रियाकलाप (सांस्कृतिक, खेलकूद, NSS, NCC आदि) | साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। अनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों को अंतिम रूप दिया जाएगा | अद्वितीय = 10<br>अति उत्तम = 7<br>उत्तम = 5<br>औसत = 3<br>साधारण =1 | |
| 5C | क्रियाकलापों का विस्तारण एवं प्रचार– प्रसार (सार्वजनिक व्याख्यान, वार्ताएँ, संगोष्ठियाँ, लोकप्रिय लेख, जो श्रेणी III के अंतर्गत आवृत्त नहीं) | साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। अनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों को अंतिम रूप दिया जाएगा | अद्वितीय = 10<br>अति उत्तम = 7<br>उत्तम = 5<br>औसत = 3<br>साधारण =1 | |
| | उप–जोड़ 5 | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6A | प्रशासनिक उत्तरदायित्व (संकायाध्यक्ष, प्राचार्य, अध्यक्ष, आयोजक, प्रभारी, अध्यापक या समकक्ष कर्तव्य जिनके अंतर्गत नियमित कार्यालयी घंटों में उपस्थित रहना अनिवार्य) | व्ययित वास्तविक घंटे | प्रति अकादमिक वर्ष के अनुसार घंटे | |
| 6B | अध्ययन बोर्ड, अकादमिक एवं प्रशासनिक समितियों में भागीदारी | व्ययित वास्तविक घंटे | प्रति अकादमिक वर्ष के अनुसार घंटे | |
| | उप–जोड़ 6 | प्राप्तांक =घंटे /10 (अधिकतम प्राप्तांक=30) | | |
| 7 | संस्थान की समेकित / कारपोरेट लाइफ के प्रति समस्त योगदान (5, 6 एवं किसी अन्य योगदान सहित) | साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। अनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों को अंतिम रूप दिया जाएगा | अद्वितीय = 10<br>अति उत्तम = 7<br>उत्तम = 5<br>औसत = 3<br>साधारण =1 | |
| | कुल जोड़ (1–7) | (250 में से) | | |

प्रोन्नति हेतु वाँछित न्यूनतम प्राप्तांक: श्रेणी I एवं II के कुल जोड़ 250 में से 150, श्रेणी 1 में से न्यूनतम 100 (अधिकतम 180) एवं श्रेणी II में से 20 (अधिकतम अंक 70)

*****

## संशोधित श्रेणी III : शोध एवं अकादमिक योगदान

संक्षिप्त व्याख्या: अध्यापक के आत्म आकलन पर आधारित API प्राप्तांक शोध एवं अकादमिक योगदान हेतु प्रस्तावित किये जाते हैं। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रोन्नति हेतु विभिन्न स्तरों पर इस श्रेणी के अध्यापकों द्वारा वांछित न्यूनतम API प्राप्तांक भिन्न हैं। आत्मआकलन प्राप्तांक प्रमाणनीय मानदण्ड पर आधारित होंगे तथा उसे अनुवीक्षण/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

| क.सं. | API | इंजीनियरिंग/कृषि पशु विज्ञान/चिकित्सा विज्ञान | भाषा संकाय/कला/मानविकी/समाज विज्ञान/पुस्तकालय/शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन | विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के अध्यापकों के पद हेतु उच्चतम प्वाइंटस |
|---|---|---|---|---|
| III A | शोध पत्र प्रकाशित किए गए | संदर्भित पत्रिकाएं | संदर्भित पत्रिकाएं | 15 प्रकाशन |
| | | गैर संदर्भित लेकिन मान्य एवं विख्यात पत्रिकाएँ एवं आवधिक पत्रिकाएं जिन पर ISBN/ISSN सं. अंकित हो | गैर संदर्भित लेकिन मान्य एवं विख्यात पत्रिकाएँ एवं आवधिक पत्रिकाएं जिन पर ISBN/ISSN सं अंकित हो | 10 प्रकाशन |
| | | सम्मेलन कार्यवाहियों पूर्ण प्रपत्र आदि के रूप में (सारांशों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा) | सम्मेलन कार्यवाहियों पूर्ण प्रपत्र आदि के रूप में (सारांक्षों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा) | 10 प्रकाशन |
| III B | शोध प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों के अध्याय | पाठ्यसामग्री एवं संदर्भित पुस्तकें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित सुव्यवस्थित समकक्ष समीक्षा प्रणाली सहित | पाठ्यसामग्री एवं संदर्भित पुस्तकें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित सुव्यवस्थित समकक्ष समीक्षा प्रणाली सहित | 50/एकल लेखक की रचनाए किसी भी संपादित पुस्तक में 10 अध्याय |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | संदर्भित पत्रिकाओं आलेखों को छोड़कर) | | | |
| | | राष्ट्रीय/राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विभिन्न विषयों पर पुस्तकें ISBN/ISSN सं. सहित | राष्ट्रीय/राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विभिन्न विषयों पर पुस्तकें ISBN/ISSN सं. सहित | 25/एकल लेखक की रचनाएँ एवं सम्पादित पुस्तकों में 5 अध्याय |
| | | अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषयों पर प्रकाशित पुस्तकें ISBN/ISSN सं. सहित | अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषयों पर प्रकाशित पुस्तकें ISBN/ISSN सं. सहित | 15/एकल लेखक की रचनाएँ एवं सम्पादित पुस्तकों में 5 अध्याय |
| | | अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित संस्करण में सम्पादित अध्याय | अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित संस्करण में सम्पादित अध्याय | 10 /अध्याय |
| | | भारतीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित संस्करणों के अध्याय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निदेशिका के ISBN/ISSN सं. सहित | भारतीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित संस्करणों के अध्याय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निदेशिका के ISBN/ISSN सं. सहित | 5 /अध्याय |
| III(C) | शोध परियोजनाएँ | | | |
| III (C)(i) | क्रियान्वित/चालू प्रायोजित परियोजनाएँ | (क) 30.00 लाख से अधिक अनुदान राशि की वृहत | (क) 5.00 लाख से अधिक अनुदान राशि की वृहत योजनाएं | 20/प्रति परियोजना |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | योजनाएं | | |
| | | (ख) 5.00 लाख से 30.00 लाख गतिशील अनुदान राशि की वृहत योजनाएं | न्यूनतम 3 से 5 लाख तक की गतिशील अनुदान राशि की वृहत योजनाएं | 15 / प्रति परियोजना |
| | | (ग) लघु शोध परियोजनाएँ (₹ 50,000 से 5 लाख से अधिक गतिशील अनुदान राशि की | लघु शोध परियोजनाएँ (25,000 से 3 लाख से अधिक गतिशील अनुदान राशि की | 10 / प्रत्येक परियोजना |
| III (C) (ii) | क्रियान्वित / चालू परामर्शी परियोजनाएँ | न्यूनतम ₹ 10.00 लाख की गतिशील राशि | न्यूनतम ₹ 2.0 लाख की गतिशील राशि | 10 / प्रत्येक परियोजना क्रमशः 10 लाख एव 2 लाख प्रत्येक |
| III (C)(iii) | पूर्ण परियोजना गुणवत्ता आकलन | पूर्ण परियोजना रिपोर्ट (निधियन अभिकरण से स्वीकृत) | पूर्ण परियोजना रिपोर्ट (निधियन अभिकरण से स्वीकृत) | 20 / प्रत्येक वृहत परियोजना 10 / प्रत्येक लघु परियोजना |
| III (C)(iv) | परियोजना निष्कर्ष / परिणाम | पेटेंट / प्रौद्योगिकी हस्तांतरण / उत्पाद / प्रक्रिया | केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकारी निकाय की मुख्य नीतियों का दस्तावेज | 30 / प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर निष्कर्ष या पेटेंट / 50 / प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय स्तर हेतु |
| III (D) | शोध मार्गदर्शन | | | |
| III (D) (i) | एम. फिल. | केवल डिग्री प्रदान की गई | केवल डिग्री प्रदान की गई | 3 / प्रत्येक छात्र |
| III (D) (ii) | पी एच. डी. | डिग्री प्रदान की गई | डिग्री प्रदान की गई | 10 / प्रत्येक छात्र |
| | | प्रस्तुत शोध प्रबंध | प्रस्तुत शोध प्रबंध | 7 / प्रत्येक छात्र |
| III (E) | प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं सम्मेलन / संगोष्ठी / कार्यशाला प्रपत्र | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| III (E) (i) | पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, प्रविधि कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण अध्ययन—अध्यापन—मूल्यांकन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, सॉफ्ट स्किल विकास कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (अधिकतमः 30 प्वाइंट) | (क) कम से कम दो सप्ताह की अवधि वाले | (क) कम से कम दो सप्ताह की अवधि वाले | 20 / प्रत्येक |
| | | (ख) एक सप्ताह की अवधि वाले | (ख) एक सप्ताह की अवधि वाले | 20 / प्रत्येक |
| III (E) (ii) | सम्मेलनों / गोष्ठियों / कार्यशालाओं आदि में प्रपत्र | शोध प्रपत्रों (मौखिक / पोस्टर) का प्रस्तुतिकरण एवं निम्न में भागीदारी | शोध प्रपत्रों (मौखिक / पोस्टर) का प्रस्तुतिकरण एवं निम्न में भागीदारी | |
| III (E) (iii) | | (क) अंतराष्ट्रीय सम्मलेन | (क) अंतराष्ट्रीय सम्मलेन | 10 / प्रत्येक |
| | | (ख) राष्ट्रीय | (ख) राष्ट्रीय | 7.5 / प्रत्येक |
| | | (ग) क्षेत्रीय / राज्य स्तर | (ग) क्षेत्रीय / राज्य स्तर | 5 / प्रत्येक |
| | | (घ) स्थानीय—विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्तर | (घ) स्थानीय—विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्तर | 3 / प्रत्येक |
| III (E) (iv) | सम्मेलनों / परिचर्चा हेतु आमंत्रित व्याख्यान या प्रस्तुतियाँ | (क) अंतराष्ट्रीय | (क) अंतराष्ट्रीय | 10 / प्रत्येक |
| | | (ख ) राष्ट्रीय स्तर | राष्ट्रीय स्तर | 5 / प्रत्येक |

* जहाँ भी आवश्यक समझा जाए, किसी भी निर्दिष्ट विषय में संदर्भित पत्रिका के प्राप्तांकों को निम्नवत संवर्धित किया जाएगाः (i) सूचीगत पत्रिकाएँ 5 प्वाइंट (ii) 1 एवं 2 के मध्य प्रभावी

घटको सहित प्रपत्र – 10 प्वाइंट (iii) 2 एवं 5 के मध्य प्रभावी घटकों सहित प्रपत्र –15 प्वाइंट (iv) 5 से 10 के मध्य प्रभावी घटक सहित प्रपत्र–25 प्वाइंट।

यदि सम्मेलन/संगोष्ठी में कार्यवाही के रूप में प्रस्तुत किये गये प्रकाशित प्रपत्र के प्रकाशन के लिए अर्जित प्वाइंट (iii) (क) तथा ये प्रस्तुति के तहत (III(e)ii)) नहीं हैं।

टिप्पणी:

1. इन विनियमों में प्रस्तावित समन्वयन समिति तथा विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य है कि वे श्रेणी III A एवं B श्रेणियों के अंतर्गत छः माह के भीतर पत्रिकाओं, आवधिक पत्रिकाओं एवं प्रकाशकों की विषयवार सूचियाँ तैयार करें और उन्हें सार्वजनिक करें। उस समय तक अनुवीक्षण/चयन समितियाँ इन प्रकाशनों का श्रेणीकरण एवं प्राप्ताकों का आकलन एवं सत्यापन करेंगी।
2. संयुक्त प्रकाशनों के API की निम्नवत परिगणना की जाएगी। संबद्ध अध्यापक द्वारा किए गए प्रकाशनों की संबद्ध श्रेणी हेतु कुल प्राप्तांकों में से प्रथम/प्रधान लेखक एवं समकक्ष लेखक/पर्यवेक्षक/अध्यापक का परामर्शदाता कुल प्वाइंट्स के 60% की समान रूप से साझेदारी करेगा तथा शेष 40 प्वाइंट की सभी अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझेदारी की जाएगी।
3. श्रेणी III (शोध एवं अकादमिक योगदान) की तालिका में सूचीगत मानदण्डों में छात्रों द्वारा प्राप्तांकों की दावेदारी के अंतर्गत निम्नवत संवर्धन किया जाएगा:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • | III | (ए) | शोध पपत्र (पत्रिकाएं इत्यादि) | 30% |
| • | III | (बी) | शोध प्रकाशन (पुस्तकें इत्यादि) | 25% |
| • | III | (सी) | शोध परियोजनाएँ | 20% |
| • | III | (डी) | शोध मार्गदर्शन | 10% |
| • | III | (ई) | प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं सम्मेलन/संगोष्ठी इत्यादि | 15% |

**विचार-विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्वसम्मत्ति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2010 (मुख्य विनियम) के अनुलग्नक की धारा-6.1.0 एवं 6.0.2 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2013 में उल्लिखित धारा में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार विश्वविद्यालय परिनियम में संशोधन पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।**

उक्त परिनियम पर विचार के क्रम में परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन-2010 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में गठित आई॰क्यू॰ए॰सी॰ समिति शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें।

* **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।**

1- प्रो॰ आशुतोष मिश्र ने परिषद् के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मांग की कि अध्ययन बोर्ड एवं संकाय बोर्ड के स्थानीय सदस्यों को तथा विद्यावारिधि (Ph.D.) एवं वाचस्पति (D.Lit.) उपाधि हेतु मौखिक परीक्षा के स्थानीय परीक्षकों को रू॰500/- स्थानीय मार्ग व्यय प्रदान किया जाय।

**विचार-विमर्श के अनन्तर परिषद् ने सर्वसम्मति से प्रो॰ मिश्र के उपर्युक्त प्रस्ताव को विचारार्थ वित्त समिति को संदर्भित करते हुये यह भी कहा कि वित्त समिति उक्त के अतिरिक्त कार्यपरिषद् , वित्त समिति एवं परीक्षा समिति के स्थानीय सदस्यों को भी रू॰ 1000/- मार्गव्यय भुगतान करने पर विचार करें।**

2- कार्यपरिषद् ने यह भी निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय में परिचारक पद पर कार्यरत श्री प्रियव्रत मिश्र जो बहुत दिनों से बिना सूचना के लापता है, उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए विधिक राय प्राप्त की जाय।

3- कार्यपरिषद् को कुलसचिव ने अवगत कराते हुए कहा कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 21.12.2013 में तथा अन्य पूर्व बैठकों में भी परीक्षा सम्बन्धी अभिलेख नष्ट करने की अनुमति प्रदान की गयी है। इससे न्यायालयों में योजित याचिकाओं में पुराने अभिलेख न मिलने के कारण असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है, अतः कार्यपरिषद् से अनुरोध है कि इस पर विचार करते हुए

निर्देश प्रदान करें कि परीक्षा सम्बन्धी किसी भी अभिलेख को नष्ट करने के लिए कोई प्राधिकारी अथवा अधिकारी आदेश न प्रदान करें।

**कार्यपरिषद् कुलसचिव के उक्त अनुरोध पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि परीक्षा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों को संरक्षित किया जाय तथा उसे नष्ट या जलाया न जाय। साथ ही अभिलेखों के डिजिटाइजेसन कराने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।**

4- कार्यपरिषद् ने विचार के क्रम में इस बात पर अत्यधिक अप्रशन्नता व्यक्त की कि परीक्षा समिति द्वारा बार-बार दिये गये निर्देशों के पश्चात् भी, संगणक केन्द्र द्वारा वर्ष 1992 से 2009 तक के सारणीयन रजिस्टर की दो प्रतियां पुर्नमुद्रित करते हुए परीक्षा विभाग में प्रस्तुत नही किया गया है। यह घोर लापरवाही एव परीक्षा के शुचिता के विरूद्ध है।

**अतः कार्यपरिषद् यह निर्देशित करती है कि संगणक केन्द्र वर्ष 1992 से 2009 तक की परीक्षाओं के सारणीयन रजिस्टार की दो-दो प्रतियां पुर्नमुद्रित करके तत्काल प्रभाव से परीक्षा विभाग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संगणक केन्द्र के अधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। कार्य के सम्बन्ध में प्रगति रिर्पोट की परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय**

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी

उपकुलसचिव(प्रशा.)/कुलसचिव/कुलपति
कृ. अनुमोदनार्थ

28/2/14

28.02.14 DRC(A)

कृ. अवलोकन कर सहमति की दशा में अनुमोदन देना चाहें।
Rg 28/02/14

28.2.14

E:\word\Kp\2014\19.02.2014\minits